

राजस्थान रोजगार संदेश

पाक्षिक

(राजस्थान सरकार के रोजगार सेवा निदेशालय द्वारा प्रकाशित व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं रोजगार संबंधी सूचनाओं का एकमात्र प्रकाशन)

वर्ष 47 अंक 13

Website: <http://employment.livelihoods.rajasthan.gov.in>

15 अगस्त, 2024

मूल्य : 3.00

वार्षिक शुल्क 60 रु

राजस्थान रोजगार संदेश की ओर से पाठकों, विज्ञापनदाताओं व वितरकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

विस्तृत विज्ञापन

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

क्रमांक: विज्ञापन.सं. 09/EXAM/ASO/Eco.&Statistics/RPSC/EP-I/2024-25

दिनांक 05.08.2024

आयोग द्वारा आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के लिए गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु राजस्थान सांख्यिकी अधीनस्थ सेवा नियम, 1971 के अन्तर्गत एवं अनुसूचित क्षेत्र हेतु राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, लिपिक वर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 के अंतर्गत सहायक सांख्यिकी अधिकारी (ASSISTANT STATISTICAL OFFICER) के कुल 43 (SA&NSA) पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थाई हैं तथा विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों (पदों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है) की संख्या एवं उनमें आरक्षित पदों की संख्या निम्नानुसार है :-

S. No.	No. Of Post (s)	Gen. (UR)				S.C.				S.T.				O.B.C.				M.B.C.				E.W.S.			
		GEN.	GEN. WE	WD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	DV
1	Non Scheduled Area (31)	10	3	1	0	2	1	0	1	2	0	0	1	4	1	1	0	1	0	0	0	3	0	0	0
Horizontal Reservation:- 1- Ex. Ser. - Gen./UR-1, SC-0, ST-0, OBC-0, MBC-0, EWS-0 2- P.H. (i) B/LV-1 (ii) D., H.H.-3 (3 Backlog), (iii) LD/CP&Others-0 (iv) (a) I.D., M.I., S.L.D, Autism & (b) Mul.Dis. -4 (4 Backlog)																									
2	No. Of Post (s)	Gen. (UR)				S.C.				S.T.				O.B.C.				M.B.C.				E.W.S.			
		GEN.	GEN. WE	WD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	DV
	Scheduled Area (12)	1	0	0	0	0	0	0	0	8	2	1	0	Not Applicable											
Horizontal Reservation:- 1- Ex. Ser. - Gen./UR-0, SC-0, ST-1 (1 Backlog) 2- P.H. (i) B/LV-0 (ii) D., H.H.-0, (iii) LD/CP&Others-1(1 Backlog) (iv) (a) I.D., M.I., S.L.D, Autism & (b) Mul.Dis. -1 (1 Backlog)																									
नोट:- अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के कुल 11 पद वर्ष 2021 की भर्ती के बैकलॉग के है जिन्हें सामान्य प्रक्रिया से नहीं भरा जायेगा।																									
Abbreviations Used: GEN – General, U.R. – Unreserved, SC – Scheduled Castes, ST- Scheduled Tribes, OBC – Other Backward Classes, MBC- More Backward Classes, EWS – Economically Weaker Sections, GEN WE – General Women, WD-Widow, DV-Divorcee, B/LV- Blind/Low Vision, D-Deaf, H.H.-Hard of hearing, LD/CP & Others – Loco motor Disability including Cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy, I.D. - Intellectual disability, M.I.- Mental Illness, S.L.D. - Specific Learning Disability, Mul.Dis - Multiple Disability, Ex. Ser. – Ex Serviceman, P.H. – Physical Handicapped.																									
टिप्पणी:- एकाधिक दिव्यांगता (Mul. Dis.-Multiple Disability) श्रेणी के लिए उपर्युक्त सारणी में दिव्यांगता की दर्शाई गई श्रेणियों में से (i) एवं (ii) की अनिवार्यता के साथ (iii) अथवा (iv)(a) में वर्णित कोई एक विकलांगता अनिवार्य रूप से होनी चाहिए।																									
विशेष नोट :- अनुसूचित क्षेत्र के अम्यर्थी गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध भी आवेदन कर सकते है। इसलिए अनुसूचित क्षेत्र के निवासित अम्यर्थी अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के संबंध में अपनी प्राथमिकता क्रम (Preference) आवश्यक रूप से ऑनलाईन आवेदन में भरें, अन्यथा उन्हें अनुसूचित क्षेत्र हेतु आरक्षित पदों के विरुद्ध लाभ देय नहीं होगा। अनुसूचित क्षेत्र के पदों के विरुद्ध केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के अम्यर्थी ही ऑनलाईन आवेदन करें। अन्य क्षेत्र के अम्यर्थी यदि अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिये आवेदन करते हैं तो वे अपात्र होंगे। अनुसूचित क्षेत्र के लिए आवेदन करने वाले अम्यर्थियों को अनुसूचित क्षेत्र में निवासित होने का प्रमाण पत्र यथासमय आयोग कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अपात्र होंगे।																									
टिप्पणी:- यदि अनुसूचित क्षेत्र के अम्यर्थी अनुसूचित क्षेत्र में ही कार्य/सेवा करना चाहते हैं तो आवश्यक रूप से अनुसूचित क्षेत्र को प्राथमिकता देंगे।																									

नोट :-

- कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों एवं कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 28.07.2023 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए पिछड़े वर्गों और, यथास्थिति अति पिछड़े वर्गों के पात्र तथा उपयुक्त अर्थर्था उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्तर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रणीत किया जाएगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात् ऐसी अग्रणीत की गई रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है, तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उपनियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जायेगा परन्तु यह और कि इस उप-नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और, यथास्थिति अति पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिए ऐसी रिक्ति पश्चात्तर्ती वर्षों में उपलब्ध हो।
- राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अर्थर्था उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।

(क्रमशः)

[illegible]

[illegible]

प्रमाण-पत्र की आवश्यकता

- [illegible]

6. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्राथमिक-मध्य

- [illegible]

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818

- [illegible]

17. अथर्ववेदः का कालः ५

- [illegible]

(समानेदास मेहता)
सचिव

विस्तृत विज्ञापन

दिनांक 05.08.2024

[illegible]

अन्योन्य स्वीकृतियोग्यता -
 प्रथम संख्या 3 एवं 6 के लिए - B.E. (Civil) or qualification declared equivalent thereto by the Government.
 प्रथम संख्या 2 के लिए - B.E. (Mechanical) or Electrical) or qualification declared equivalent thereto by the Government.
 प्रथम संख्या 4 के लिए - B.E. (Mechanical) or qualification declared equivalent thereto by the Government.
 प्रथम संख्या 5 के लिए - B.E. (Mechanical) or qualification declared equivalent thereto by the Government.
 प्रथम संख्या 7 के लिए - Degree in Civil/Architecture Engineering from a University established by law in India or qualifications declared equivalent thereto by the State Government.
 प्रथम संख्या 1 से 7 तक के लिए - Working knowledge of Hindi written in Devnagari Script and knowledge of Rajasthani culture.

[illegible]

१-समय	दिनांक 01.01.2025 को सुलगान 21 वर्ष के अभिलेख 40 वर्ष के कम होना चाहिए। नोट :- उमर पर अभिलेख द्वारा वर्ष 2019 में विशालि सिंदे एवं विराले तहलू आरु की गणना का आकार 01.01.2019 सभा का था। इसरकार सभा परी हलू को विराले परी की विराले का आरु के अर्थात् दिनांक 01.01.2025 को अभिलेख के होते है, वरने विराले में विशालि प्रबलननुगत अभिलेख आरु सभा में तहलू की अभिलेख हेतु होनी।
अनुसूची	विशालि सिंदे के अनुसार वराले परी काहीत परी हेतु विराले को / अन्य विराले कोहीत हेतु आरु सभा में घुट के आकार।

क्र.	अर्थवर्गीय वर्ग एवं अनुश्रुति श्रेणी	अधिकतम आयु व सेवा अवधि
1.	सका राज के अनुश्रुति वाली अनुश्रुति प्राप्त करने पर पिछा वर्ग /जति पिछा वर्ग /अर्थिक सम से कमजोर वर्ग के पुनः Male Candidates belonging to the Scheduled Caste, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections of Rajasthan State	5 वर्ष Five Years
2.	राजस्थान की अनुश्रुति वाली अनुश्रुति प्राप्त करने पर अग्र पिछा वर्ग /अति पिछा वर्ग/अर्थिक सम से कमजोर वर्ग की महिला Woman Candidate belonging to the Scheduled Caste, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections of Rajasthan State	10 वर्ष Ten Years
3.	सामान्य (अनुश्रुति) वर्ग की महिला Woman Candidate belonging to General Category	5 वर्ष Five Years
4.	विधवा एवं विधिवर विहाय (पैकलगाए) महिला Widows and divorced women. Explanation :- That in the case of widow, she will have to furnish a certificate of death of her husband from the Competent Authority; and in the case of divorcee she will have to furnish the proof of divorce.	अधिकतम आयु सीमा नहीं है No Upper age limit
5.	उत्पन्न उपवास आदि सैन्य एवं नागरिक क्षेत्र के मामले में सजा, नष्ट होने के बाद प्रत्येक से पूर्व सप्ताह के अंतिम तिथि पर सब Substantive और सर सेवा कर सुना जा और इन दिनों के अंतर्गत नियुक्ति के पास बा। The upper age-limit mentioned above shall not apply in the case of ex-prisoner who had served under the Government on a substantive basis on any post before conviction and was eligible for appointment under the rules.	
6.	सन मुकुट होने के मामले में जो अपनी अधिवृद्धि के पूरे अधिकारों को वापस लेने या और निष्ठा के लिए पत्र बा, कार्यवाही अधिकतम आयु सीमा में लक्ष्य प्राप्त करने का समय की गणना के आधार की अवधि को घटा दे लगेगी। The upper age-limit mentioned above shall be reduced by a period equal to the term of imprisonment served in the case of an ex-prisoner who was not over age before his conviction and was eligible for appointment under the rules.	
7.	पुर स्वीकृत के केंद्र अंगुष्ठपत्र के मामले में अपने ही जाल की मदद से जारी मिली सेवा अन्वेषित एल.सी.सी. में की होगी बारीकीदार अनु उपकरण आयु सीमा के 3 वर्ष के अधिक नहीं होगी जो उन्हें मिलित आयु सीमा में भी करना चाहिए। The upper age limit mentioned above shall be relax-able by a period equal to the service rendered in the N.C.C., in the case of Cadet Instructors and if the resultant age does not exceed the prescribed maximum age limit by more than three years; they shall be deemed to be within the prescribed age limit.	
8.	निश्चित आरक्षण दिवस में स्वयंसेवक का अधिकार और मरुभूमि सेवा अधिकारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी। The upper age limit for the reserve/natal the defence personnel transferred to the reserve, and the ex-service personnel shall be 50 years.	
9.	निष्ठादायी अभियोग अधिकारियों/अति निष्ठा सहयोग अधिकारियों से भी अभिलेख रखने वाले सैन्य पाठ्यक्रम के लिए आयु सीमा में दो तक छोटी हो सकती है जिससे वे अब अपाठ से तथा पूर्ववर्ती के तहत आयु सीमा में भी रह सकें। हालांकि यह वे आयु सीमा में एक चुके होंगे, यदि वे सीमा में अभिलेख रखने वाला सैन्य पाठ्यक्रम करें। The Released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers after release from the Army shall be deemed to be within the prescribed age limit provided they are released from the Commission and their names suitable as per the	

time of their joining the Commission in the Army.

10. **उपस्थान करने के अभाव में Substantive रूप से सरकारी क्षेत्र के नगर पंचायत अनुमति 40 वर्ष होगी।**
The upper age limit for persons serving in connection with the affairs of the State in substantive capacity shall be 40 years.

11. **सब पंचायत समितियों तथा पंचायत विभागों और राज्य सरकारी क्षेत्र के उपनगर/विभाग के पंचायतों/नगरों में संबंध में Substantive रूप से सेवानिवृत्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।**
That the upper age limit for persons serving in connection with the affairs of the Panchayat Samities and Zila Parishads and in the State Public Sector Undertaking/Corporation in substantive capacity shall be 40 years.

12. **That no relaxation or concession contained in the above, proviso shall be allowed to a candidate who has already attained the age of 50 years**

13. सम्बन्धित सिविल सेवा (भारतीय सिविल) का अधिनियम 1986 के अन्तर्गत नगरपालिका सिविल को क्लर्क अथवा सीमा में 10 वर्ष की छुट देव होनी परन्तु सीवी भर्ती की

According to the Rajasthan Civil Services (Absorption of Ex-servicemen) Rules 1988, relaxation in upper age limit shall be 10 years to Ex-servicemen; Provided that in case of direct recruitment where experience is also essential on lower post then relaxation in age equal to the period of requisite experience of the lower post shall be given to the ex-servicemen in addition to the relaxation in age already provided under

these rules; Provided that permissible age after relaxation under this rule work out to be more than 50 years then upper age limit of 50 years shall be applicable but in case of direct recruitment where experience of lower post is essential the maximum upper age limit of 55 years shall be applicable.

	रखवाएल - जालिम (क-2) दिनांक क प्रमाण दिनांक 22.8.2018 के अनुसार राखवाल सिविल डोरा भूधरूमी रीतिका का अन्तर्गत विषय 1988 खासापत्र के अनुसार के होत हुनू की कसौती करी से संश्लेषित कर दिनांक में अनु संक्षेपी को निश्चितकर अनु लेख संख्या/अनुविधि को दो देह है, यह भूधरूमी रीतिक लेख दो देह लेखी कर्तव्य अनुसार संक्षेपी सिविल डोरा के संबंध में दोनो दिनांक में अनु संक्षेपी विवरण प्रकाशन है, राखवाल जालिम भूधरूमी रीतिका को निम्नले।
14	राखवाल दिवांगल अधिकार विषय 2018 के अनुसार निराकरण प्रक्रिया के लिए कर उल्लेख करत अनुसार आ संख्या में 56 लेख को छूट देत हुनू।

According to the Rajasthan Rights of Persons with Disabilities Rules 2018, the upper age limit mentioned above shall be relaxed by 05 years for persons with benchmarks disabilities. (क्रमशः)

1. Each question has five options marked as 1, 2, 3, 4, 5. You have to darken only one circle (bubble) indicating the correct answer on the Answer Sheet using BLUE BALL POINT PEN.
2. It is mandatory to fill one option for each question.
3. If you are not attempting a question then you have to darken the circle '5'. If none of the five circles is darkened, one third (1/3) part of the mark of question shall be deducted.
4. After solving question paper, candidate must ascertain that he/she has darkened one of the circles (bubbles) for each of the questions. Extra time of 10 minutes beyond scheduled time, is provided for this.
5. A candidate who has not darkened any of the five circles in more than 10% questions shall be disqualified.

1. अपनी Online Application Form में अपना कोड मोबाइल नंबर व ई-मेल आईडी, जितनी को विस पर यह प्रक्रिया/सहायक इसीप्रति संबंधी मांग सूचना SMS & E-Mail के माध्यम से साझा है। ऑनलाइन आवेदन में प्रेषित मोबाइल नंबर व ई-मेल आईडी बदलने/बंद होने/नेटवर्क समस्या होने पर सुझाए जात होनी व अपनी कोड स्वयं को विमोचनी होगी।

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

[illegible]

मैंने सब चलते-चलते ही कि अयोध्या हुआ असा विमान ने सिद्धांत पर हनु मंगल भिन्नी अनुकरण मध्य को जा पहुँचे है असा फिर भी आदर्श-६-मित्र/अन्य स्त्रीता प्राप्त कि गये अर्द्धवृत्त आवेदन-पत्र ने किसी प्रकार की कोई गलती/त्रुटि/अनु/अपूर्ण सुचना दे जाती है एवं वर्तमान भिन्नीपत्र अनुसार अर्थात् आगे आनेवाला आवेदन-पत्र आवश्यक सिद्ध संकेताने किसी विमान को दे दे विमान के अग्रभाग पर पता लगाई है इन्हींके कारण आदर्श को आगेआगे/सिद्धता आवेदन-पत्र आगेगए आगेगए/मित्रता एवं दिवा जाता है। वे असा स्वयम् भी किसी प्राधान्य-पत्र पता लगाती किन्ना कारण और अर्थात् को कोई कन्वैनी अविचार भी नहीं होता।

अन्य विन्दु व सुचना - एकदिवसीय संवेदन प्रकृत, आरेखन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सुचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य विन्दु व सुचना के लिए आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
 नवीनतम एवं संबंधित परीक्षाओं हेतु आरेखन व परीक्षा संबंधी सामग्री निम्नलिखित वेबसाइटों पर उपलब्ध है।
 संबंधित वेबसाइट-समय पर जारी सुचनाओं का अवलोकन आयोग की वेबसाइट <https://psc.jarkhand.gov.in> पर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के निर्देशन/सुचना/सूचनाओं हेतु कृपया संबंधित लोक सेवा आयोग, आयोग के पोस्टर में किता सत्यात काय व अधिकार काय से अवगत होकर सुचना प्राप्त करें।
 सहायक विभाग का सहायक सचिव, आयोग, आयोग के पोस्टर में किता सत्यात काय व अधिकार काय से अवगत होकर सुचना प्राप्त करें।
 सहायक विभाग का सहायक सचिव, आयोग, आयोग के पोस्टर में किता सत्यात काय व अधिकार काय से अवगत होकर सुचना प्राप्त करें।

(रामनिवास मेहता)
सचिव

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर-302018 दूरभाष नं. 0141-2722520

क्रमांक : प.14(145)RSSB/अर्थना/CET Graduate/2024/3121

दिनांक : 06.08.2024

-: विज्ञापन सं. 10/2024 :-

-:: समान पात्रता परीक्षा(Common Eligibility Test) (स्नातक स्तर)-2024 ::-

बोर्ड द्वारा राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिकवर्गीय सेवा (समान पात्रता परीक्षा) नियम-2022 यथा संशोधित के अन्तर्गत निम्नलिखित सेवाओं हेतु समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर)-2024 के लिए निर्धारित प्रपत्र में अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र (Online Application Form) आमंत्रित किये जाते हैं:-

क्रम संख्या	सेवा का नाम	षट् का नाम
1.	राजस्थान होम गार्ड अधीनस्थ सेवा	प्लाटून कमांडर
2.	राजस्थान अगिघात्रिकी अधीनस्थ शिवाई सेवा	1. जिल्हदार 2. पटवारी
3.	राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा	कनिष्ठ लेखाकार
4.	राजस्थान राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा	तहसील राजस्व लेखाकार
5.	राजस्थान महिला अधिकारिता अधीनस्थ सेवा	पर्यवेक्षक (महिला अधिकारिता)
6.	राजस्थान अग्रिकृत बाल विकास अधीनस्थ सेवा	पर्यवेक्षक
7.	राजस्थान कावागार अधीनस्थ सेवा	उप-जेलर
8.	राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा	छात्रावास अधीक्षक सेट-II
9.	राजस्थान राज्य (मू-अभिलेख, मू-प्रबन्ध एवं उपनिवेशन) अधीनस्थ सेवा	पटवारी
10.	राजस्थान पंचायती राज	ग्राम विकास अधिकारी
11.	राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड (सेवा)	कनिष्ठ लेखाकार

[illegible]

समान पात्रता परीक्षा(स्नातक स्तर) के संबंध में सामान्य दिशा निर्देश:-

1. सामन पात्रता परीक्षा(स्नातक स्तर)-2024 माथ एकाग्रता परीक्षा होई। सामन पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर)-2024 में सम्मिलित पद पर भर्ती सुवर्णतः सात नियमों के उपबन्धों के अनुसार की जायेगी। किसी अन्यथा का समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होना तथा स्वीकार अर्थात कर लेना मान्य हो उसे कोई भी कार्य नहीं होगा। अन्यथाओं को भी पूर्णतः पूर्णतः द्वारा सम्मिलित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में आयस्क रूप से उपस्थित होना होगा और उस परीक्षा करना होगा और सुसंगत सेवा नियमों में अतिरिक्त अन्य कक्षाओं की पूर्ण करणी होगी। सामन पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर)-2024 में सम्मिलित सेवाओं के पदों पर भर्ती को लिये नियमों नियमों एवं परीक्षा प्रणाली के अनुसार आगर से भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जायेगा, जिसमें अन्यथाओं का समन आधारित रिक्त पदों के अनुसार वरीताता के आधार पर किया जायेगा। मुख्य भर्ती परीक्षा का आयोजन एवं भर्ती की कार्यवाही उस सेवा के सेवा नियमों के अनुसार की जायेगी।
2. सामन पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर) वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी। सामन पात्रता परीक्षा का स्कोर परीक्षा की दिनांक से एक वर्ष के लिये मान्य होगा।
3. बोर्ड द्वारा एक समस्त आयोजित को अंक, जो सामन पात्रता परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, प्रकाशित किया जायेगा।
4. सामन पात्रता परीक्षा में उपस्थित होना के प्रस्ताव की सत्यापन के संबंध में कोई निबंध नहीं होगा। अन्यथाओं के पात्र सामन पात्रता परीक्षा में अपना स्कोर प्रमाण के अनुसार होगा। किसी अन्यथा का सामन पात्रता परीक्षा(स्नातक स्तर) में सम्मिलित पदों के लिये अपेक्षा परीक्षा परीक्षा से पूर्ण को सर्वोत्तम उपलब्ध स्कोर मान्य होगा, अपार स्कोर की वृद्धात सामान्य नहीं हुई हो पूर्ण सामन पात्रता परीक्षा(स्नातक स्तर)-2022 की स्वीकृति की अवधि परियोजना की दिनांक से एक वर्ष पूर्ण हो जाने से सम्बंध को चुकी है।
5. सामन पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर)-2024 में कर्मिक नियमों की अपेक्षाओं में 03.08.2024 सामन पात्रता परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थकों और लिपिकवर्गीय सेवाओं के पदों पर भर्ती को शासित करने वाले किसी नियम में अतिरिक्त किसी बात को छोड़ कर, कोई भी अन्य सामन पात्रता परीक्षा में उपस्थित हुए पर समन के लिए सम्मिलित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में उपस्थित होना मान्य मान पात्र नहीं होगा यदि वह सीधी (स्नातक) में न्यूनतम 40 प्रतिसात अंक प्राप्त करने में सफल रहता है। ध्यान, अनुपस्थित जाति/अनुपस्थित जनजातियों के अन्यथाओं को न्यूनतम अंकों में 6 प्रतिसात तक कमिलोकरण किया जायेगा।
6. सामन पात्रता परीक्षा(स्नातक स्तर)-2024 में उपस्थित किसी पद पर भर्ती को लिये, शैक्षणिक अर्हता, आगर आदि पदों को उस पद पर भर्ती को शासित करने वाले सुवर्णतः सात नियमों में स्यात निम्न है।
7. सामन पात्रता परीक्षा(स्नातक स्तर) में उपस्थित होना के पदों पर भर्ती अन्यथा द्वारा स्वयं यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह सामन पात्रता परीक्षा(स्नातक स्तर)-2024 में सम्मिलित किसी पद हेतु अनु, शैक्षणिक अर्हताओं आदि, यदि कोई हो, के संबंध में शर्त पूर्ण करता/करती है। सामन पात्रता परीक्षा के लिये अनुमत किया जाया अन्यथा को पात्रता की उपाधयात्रा मान्यता का पात्र नहीं मानेगा।

1. ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया:—बोर्ड द्वारा आवेदन Online Application Form लिये जाएंगे जिन्हे राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क/जन सुविधा केन्द्र को माध्यम से भरा जा सकता है। ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेवे। तदुपरान्त ही अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करे। ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :-

1. ऑनलाइन ऑनवेदन ऑपरेटन करके ही सिले अप्रवर्धित फोटो हेतु <http://smsb.gov.raisthan.gov.in> अथवा <http://rsb.raisthan.gov.in> पर Recruitment Advertisement पर क्लिक करके Apply online link को Click कर अवस्था परएअप्ली पोर्टल <http://www.raisthan.gov.in> Login करके ही उपरान्त Citizen Apps (GAC) पर Recruitment Portal को चयन करना होगा। इसके बाद अप्रवर्धनी Apply Now पर क्लिक करायें। यदि पुरुष **OTR** बन चुका हो तो भी मर्दाना पत्रके में अप्रवर्धन फोटो को सर्वप्रथम करके **OTR (One Time Registration)** बनाया होगा। एकलैंगन पंजीयन मुक्त जगता होगा एवं **OTR-EKYC** सेवामें न अपना **Live Photo** व इस्तदालिफ मुक्त को अपलोड करेता होगा। इसके लिये अप्रवर्धनी को सर्वप्रथम **OTR (One Time Registration)** डैश को उपयोग कर रायें को **OTR (One Time Registration)** रजिस्ट्रेशन अनुसरण कर पुरे करना होगा। यदि अप्रवर्धनी **OTR (One Time Registration)** का एकलैंगनी पंजीयन मुक्त जगता नहीं किया गया है तो अप्रवर्धनी को सर्वप्रथम **OTR (One Time Registration)** डैश पर अपनी ओरी (Unreserved (UR) अवस्था Reserved (EWS/OBC-NC/MB-CNC/SC/ST/SAH)) श्रेणी, दिव्यमार्ता को स्थिति व गृह राज्य को चयन कर के मुक्त को चयन करना होगा। ऑनलाइन अप्रवर्धन में अप्रवर्धनी को **OTR (One Time Registration)** को समय भरी गई श्रेणी, दिव्यमार्ता की स्थिति व गृह राज्य को अनुरूप ही Options भरने हेतु मिलेंगे। अतः अप्रवर्धनी **OTR (One Time Registration)** प्रक्रिया को सावधानी से करें।
- नोट: इसके बाद पुरीसे **OTR (One Time Registration)** में अप्रवर्धनी को लाईफ फोटो लाईव कर देते हैंके जगता एवं अप्रवर्धनी को स्वयं की इस्तदालिफ का जगता अपलोड करवाये जाने का निर्णय किया गया है। यदि अप्रवर्धनी का पुरुष **OTR** बन चुका हो तो उसे **OTR** को अपवर्धन करना होगा। अप्रवर्धनी जब अपना ऑनलाइन अप्रवर्धन बना प्रारम्भ करेता तो सिस्टम सर्वप्रथम उसे **OTR (One Time Registration)** स्क्रीन पर लेजेर जायगा। **OTR (One Time Registration)** स्क्रीन पर उसे **OTR-EKYC** सेवामें न **Live Photo** की अप्रवर्धनी **Take Photo** का चयन मिलेगा। इस चयन को उपयोग कर के अप्रवर्धनी को सर्वप्रथम पुरे चयन को स्वयं की लाईफ फोटो से सहेगा। इसके लिये अप्रवर्धनी को **Take Photo** का चयन बचक करके उसे कैमरे के सामने इस प्रकार रीथा बैठना होगा कि उसके आंखों से अधिक बचक होटी में आवे व कमजोर की पलकों को अप्रकटा होगा, तब **Take Photo** पर क्लिक करके **Submit EKYC** करने को चयन करेता है। अप्रवर्धनी जब स्वयं स्वयं की फोटो की गुणवत्ता से संतुष्ट नहीं हो जाता तब इस प्रक्रिया को दोहरा सकता है। परंतु **Live Photo** व लाईफ फोटो मुक्त को एवं **Submit EKYC** करने को बार चयन करेता है।
- साथ ही समस्त अप्रवर्धनी से इस्तदालिफ मुक्त को अपलोड करवाया जायेगा। इस हेतु **OTR (One Time Registration)** स्क्रीन पर **Hand Written** को ऑनलाइन सफल का स्थिति मिलेगा, इस स्थिति को click कर अप्रवर्धनी को नोट्स द्वारा निर्धारित इस्तदालिफ मुक्त को निर्धारित प्रारम्भ अपलोड करना होगा। इस चयन को इससे लिये निर्देशों के अनुरूप अप्रवर्धनी इस्तदालिफ में भरकर, **SSO ID**, **OTR** मनुष्य भरकर इस्तदालिफ करके **OTR-EKYC** के **Hand written** सेवामें को अंतर्गत **Choose File** का चयन कर अपलोड करेता होगा। अप्रवर्धक **OTR (One Time Registration)** में अप्रवर्धनी को भी इस्तदालिफ लाईफ फोटो व पार्श्वपोस्ट साइज फोटो के लिये अप्रवर्धक स्वयं दिव्यमार्ता होगा। यदि फोटो धुंधली व अप्रवर्धन अवस्था कांन्ट्रैक्ट कर अपलोड करके पुरी जायगी है तो अप्रवर्धक की अप्रवर्धनी स्थिति भी स्वयं पर स्थित की जायक उचित कार्यवाही की जायगी।
- OTR** प्रक्रिया को पूरा करने को बाद अप्रवर्धनी **SSO** को माध्यम से अप्रवर्धन कर सहेगा। अप्रवर्धक को अप्रवर्धन पत्र में मदीयान सफावरी 2023 कोटी (01 मास से अधिक समय व हो) भी अप्रवर्धनी की जानी आवश्यक है। अप्रवर्धक को ऑनलाइन अप्रवर्धन में सारविक दृश्य शरीर (visible body mark) भरना अप्रवर्धनी है। मर्दाना के लिये अप्रवर्धन प्रक्रिया के दौरान, उन्मीलनारों को स्वयं की पहचान को अप्रवर्धन पत्र में सारविक चयन होगा जिस हेतु उसके पास निम्नलिखित साधन विधियों में से किसी एक विधि का चयन करने का विकल्प उपलब्ध होगा :-

I. आधार कार्य आधारित सत्यापनः—

- यदि उम्मीदवार आधार कार्ड का उपयोग करके OTR (One Time Registration) जनरेट करता है, तो और किसी सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी।
- यदि OTR (One Time Registration) SSO/जन्म-आधार के माध्यम से जनरेट होता है, तो उम्मीदवार को आगेहन पत्र में निम्नलिखित जानकारी का सत्यापन करना होगा – आधार नंबर दर्ज करें और फिर डेटा में दर्ज की गई जानकारी (उम्मीदवार का नाम, पिताजी का नाम और जन्मतिथि) का सत्यापन किया जाएगा।

ii. यदि आपार कार्ड नहीं है, तो उम्मीदवार को आवेदन पत्र में इस हेतु निर्धारित साहचर्य की घोषणा करनी होगी। घोषणा करने के बाद उम्मीदवार निम्नलिखित तीन में से किसी एक विकल्प का चयन कर स्वयं के नाम, पिताजी के नाम, और जन्मतिथि (प्रोफाइल विवरण) को सत्यापित करेगा :-

1. मूल प्रमाण पत्र विकल्प-जम्मीददार अपने मूल प्रमाण पत्र का क्रमांक दर्ज करेगा उसके पश्चात् Fetch बटन पर क्लिक करने पर डीजिसाईल/बीनाफाईड प्रमाण पत्रों (मूल प्रमाण पत्र) को डाटा से सत्यापित किया जाएगा।

11. विजिलेंकर के माध्यम से 10वीं बोर्ड मार्कशीट से जोड़ने का विकल्प :- सम्मोदवार अपने दसवीं कक्षा के बोर्ड का नाम, रोल नं० व उत्तीर्ण वर्ष दर्ज कर स्वयं सत्यापित करेगा।

III. यदि उम्मीदवार उपरोक्त किसी भी प्रक्रिया से स्वयं के विवरण को सत्यापित करने में असमर्थ है तो उसे निम्न घोषणा करना होगी—“मैं अपनी प्राप्ति/हता विवरण सत्यापित करने में असमर्थ हूँ/होऊँगी। मैं परीक्षा में निम्नलिखित समय से 1 घंटा 30 मिनट पहले परीक्षा केन्द्र पर बायोमेट्रिक सत्यापन हेतु उपस्थित होऊँगा/होऊँगी”।

उपजानुसार सत्यापन को जाने के पश्चात उपरोक्तवाला प्रश्न प्रतियोगिता प्रक्रिया को आगेवहन पर संकेत। आवेदन पत्र में उसके द्वारा OTR में प्रश्न की गई सुनारणी, प्रतियोगिता स्तरीय एवं उसने संबंधित नहीं किया जा संकेत। अन्य सभी सुनारणी अथवा को सत्यापनी प्रकृत भरी होगी। **इस प्रकार ऑनलाइन आवेदन में की गई सुनारणी को आवेदक को गलती माना जावेगा।** आवेदन पत्र को Final Submit करती हों अथवा को ऑनलाइन आवेदन क्रमांक जनरेट हो जावेगा। अथवा की हरे ऑनलाइन आवेदन पत्र को प्रिन्ट अपने पास सुरक्षित रख लेना चाहिए।

- अन्यथा एकमात्र पंजीजन शुल्क जमा करवाने हेतु अन्य किसी अन्य पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग नहीं करें।
- अन्यथा एकमात्र पंजीजन शुल्क को भुगतान एवं/किंवा रिफाई करने के पूर्व सुनिश्चित करें। त्राफिक किसी प्रकार की भुगतान संबंधित Transaction को लॉन्चिंग रहने का सत्यापन समय रहते ही उसके व्ययस्था इसकी निष्पत्तिदायी स्वयं जानकारी की होगी।
- आवेदक अपने कार्य का डी मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. दर्ज करें तथा इसे नहीं बदले। महत्वपूर्ण सूचनाएँ आवेदन में दर्ज मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. पर ही भेजी जाती है। आवेदक अपनी स्वयं की SSO ID से ही आवेदन करना सुनिश्चित करें। अन्य दूसरी SSO ID से भरा गया आवेदन मान्य नहीं किया जायेगा।
- आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पर कमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन पर कमांक (Application ID) अक्षिप्त या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पूरा स्वीकार नहीं हुआ है। आवेदन पूरा के Preview को आवेदन का Submit होना नहीं माना जायेगा।
- अन्यथाई द्वारा निर्धारित विभिन्न तक ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य होगा, किसी भी परिस्थिति में ऑनलाईन आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- आवेदक को आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो Recruitment Portal पर दिये गये Helpdesk Number या E-Mail पर सम्पर्क करें। ई-मिल हेल्पलाइन नम्बर 0141-2221424/2221425 एवं ऑनलाईन चैट बॉक्स समर्थकों को शिवे हेल्पलाइन नम्बर 0294-305754 पर सम्पर्क करें।
- आवेदक बिना कार्डलिस्ट प्रमाणित हुए आदेशों सारांशों/शिफारसों को परामर्शन समर्थक पोर्टल पर ऑनलाईन दर्ज करना सकते हैं। इस हेतु सिटीजन कॉल सेंटर टोल फ्री नम्बर 181 पर भी शिकायत दर्ज कराने एवं उसकी समाधान प्रदान करने की क्षमता सुविधा है।
- आवेदक द्वारा ऑनलाईन की जाने वाली सभी वैध शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता को ही अंतित्व रख लेना संभव किया जाएगा। ऑनलाईन आवेदन में दर्ज योग्यता के अधिष्ठित अन्य संस्था/विश्वविद्यालय से प्रत्यक्ष किसी/दिनेकोम को स्वीकार/मान्य नहीं किया जायेगा। आर.एम.एस.सभापतिगणित अग्रणी शैक्षणिक योग्यता ऑनलाईन आवेदन में रहे।
- आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरत सूचना देना/तक्य सूचना पर कोई अन्यथा पर नियमानुसार कार्यवाही को लिए स्थिति होगा।
- समस्त सूचनाएं कोई भी वेबसाइट rsmssb.raajasthan.gov.in एवं rsb.raajasthan.gov.in के माध्यम से प्रकाशित/सूचित की जायेगी। कृपया इस नहीं पीछा के संबंध में समस्त आदर्शन आवेदन को शिवे बोर्ड की वेबसाइट को निगरित करें से देखें हों। अलग से कोई प्रचारार्थ नहीं किया जायेगा।
- (क्रपा.)

- 2. एकवारीय पंजीयन शुल्क:**—कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 19.04.2023 के द्वारा अभ्यर्थियों को अपनी SSO ID द्वारा लॉगिन करने के बाद एकवारीय पंजीयन प्रणाली (One Time Registration) ऑनलाइन पर जाकर निम्नानुसार निर्धारित पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई-निर्भर कियोस्क या जन सुविधा केंद्र (C.S.C.) के माध्यम से चयन बोर्ड को ऑनलाईन जमा कराये।
- (क) सामान्य वर्ग व क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु—रुपये 600/-
- (ख) राजस्थान के नौन क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु—रुपये 400/-
- (ग) समस्त दिव्यांगजन आवेदक हेतु—रुपये 400/-

नोट:-

- राजस्थान राज्य से निम्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित पंजीयन शुल्क देना होगा।
- पूर्व में एकवारीय पंजीयन शुल्क (OTR) जमा करवा चुके अभ्यर्थियों से दुबारा शुल्क देय नहीं होगा।

3. समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर) के अन्तर्गत विभाग के पदों के नाम का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	विभाग का नाम	पद का नाम
1.	गृह सहा विभाग	प्लानर क्लर्क
2.	जल संसाधन विभाग	1. जिलेदार
3.	कोय एवं लेखा विभाग	2. पटवारी
4.	राजस्व मण्डल	कनिष्ठ लेखाकार
5.	महिला अधिकारिता	तहसील राजस्व लेखाकार
6.	समोकेत बाल विकास सेवाएं	पर्यवेक्षक (महिला अधिकारिता)
7.	कारागार विभाग	पर्यवेक्षक
8.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	उप-जेलर
9.	राजस्व मण्डल	प्रजावास अधीक्षक चेज-II
10.	राजस्थान पंचायती राज	पटवारी
11.	राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड	ग्राम विकास अधिकारी
		कनिष्ठ लेखाकार

नोट:-कोई द्वारा संबंधित पद की मुख्य परीक्षा हेतु शिक्षाजन जारी करते समय विभागवार एवं सेवावार रिक्त पदों की संख्या दर्शाई जायेगी।

विशेष सूचना:-

- राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण का लाभ दिया जायेगा।
- कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सौधी भर्ती के लिए राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं दिनांक 28.07.2023 के अनुसार पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को परभावपूर्वती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रणी किया जायेगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात ऐसी अग्रणी की गई रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी। यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जाएगा। परन्तु यह और कि इस उप-नियम के अन्तर्गत सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिसके लिये ऐसी रिक्ति परभावपूर्वती वर्ष में उपलब्ध हो।
- राजस्थान के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा।
- महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) प्रमाणानुसार (Category wise) 30 प्रतिशत होगा। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में रिक्तियों के महिला आवेदक हैं, आनुपातिक रूप से सामायोजित किया जाएगा।
- स्पष्टीकरण:- किसी वर्ग (अन्तर्गत पद(सामान्य वर्ग)/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त महिला आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष आवेदक से भरा जाएगा। विभागत महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का नौन क्रीमीलेयर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- महिलाओं हेतु आरक्षित दरिद्र एवं पदों में नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विभाग एवं 2 प्रतिशत परियोजना (विवाह-विधिविन्म महिला) महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। यदि पर्याप्त विभाग अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती हैं तो विभाग के लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की परियोजना (विवाह-विधिविन्म महिला) से भरा जायेगा। इसी प्रकार यदि पर्याप्त परियोजना अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती हैं तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की सामान्य महिला से भरा जायेगा। यदि विभाग एवं परियोजना दोनों ही पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होती हैं तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की सामान्य महिला से भरा जायेगा। विभाग आवेदक होने की स्थिति में समान प्रक्रियाओं द्वारा जारी पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र एवं परियोजना महिला (विवाह विधिविन्म महिला) को विवाह विच्छेद का न्यायालय का आदेश/डिक्टी प्रस्तुत करनी होगी। परियोजना महिला (विवाह विधिविन्म महिला) को विवाह विच्छेद का न्यायालय का आदेश/डिक्टी संबंधित पद के लिये मुख्य परीक्षा में आवेदन करने की औचित्य तब तक का प्रस्तुत करना होगा।
- अति पिछड़ा वर्ग के लिये राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एक.2 (12)/विधि/2/2019 दिनांक 13.02.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के अति पिछड़ा वर्ग में शामिल जातियों (नौन क्रीमीलेयर) को 05 प्रतिशत आरक्षण देय है।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एक.7 (1)/कार्मिक/क-2/2019 दिनांक 19.02.2019 एवं 20.10.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देय है।
- कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.07.2017 के अनुसार सामान्य श्रेणी के पदों के पिछड़ा चयन हेतु आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग) के केवल वे ही आवेदक पात्र होंगे जिन्होंने शुल्क के अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी के लिये देय किसी अन्य रियायत का लाभ नहीं उठाया है।
- राजस्थान राज्य से निम्न राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का माना जायेगा।
- बार्ष जिले की चरहिया आदिम जाति के आवेदक को आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी के संबंधित कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करने पर ही उन्हें बार्ष जिले में सहरिया जाति के लिये राज्य सरकार के निर्देश क्रमांक प. 13(20) कार्मिक/क-2/8/पाट दिनांक 16.01.2020 के अनुसार आरक्षण का लाभ देय होगा।
- भूतपूर्व सैनिकों हेतु :-
- (क) भूतपूर्व सैनिकों के आभितों को भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं होगा।
- (ख) भूतपूर्व सैनिक :-
- (1) प्रतिरक्षा (अल, जल, वायु सेना) सेवाओं से सेवानिवृत्त के समय आवेदक का चरित्र "अच्छा" से कम नहीं होना चाहिये जैसा कि उसकी सेवानिवृत्ति में दर्शाया गया हो।
- (2) प्रतिरक्षा सेवा से सेवानिवृत्त के पश्चात् किसी आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जो उसे नियोजन के लिये अर्हक बना दे।
- भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण राजस्थान शिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आभेनल) नियम, 1988 के प्रावधानों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5 प्रतिशत पद आरक्षित है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 07.12.2022 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिये रिक्तियों का आरक्षण सौधी भर्ती में प्रवर्गवार होगा। किसी वर्ष विशेष में पात्र और उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता की दशा में, उनके लिये इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी और रिक्तियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रणी की जायेगी तथा तत्पश्चात् ऐसी रिक्तियां व्यापगत हो जायेगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिये कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एक.6(16) कार्मिक/क-2/84 पाट-II दिनांक 17.04.2018 यथा संशोधित एवं 22.12.2020 के अनुसार प्रावधान भी लागू होंगे। कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एक.6(16) डीओपी/ए-11/84 पाट IV दिनांक 01.08.2021 के अनुसार "भूतपूर्व सैनिक" के संदर्भ में व्यक्ति जो राज्य में बसे हुए हैं, से व्यक्ति जो राजस्थान का मूल निवासी है, अभिप्रेत है। उक्त अधिसूचना के अनुसार राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही भूतपूर्व सैनिक वर्ग का लाभ दिया जायेगा।
- "कोई व्यक्ति जो अपनी पेशा अवधि करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया/गयी है या आगामी एक वर्ष के भीतर-भीतर सेवानिवृत्त हो रहा/रही है पर उसने समान प्राधिकारी से निराशेष प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी, किन्तु पदग्रहण से पूर्व उसे समुचित निवृत्ति प्राधिकारी के समक्ष सेवानिवृत्ति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक निराशेष प्रमाणपत्र (एन.ओ.सी) के आधार पर आवेदन करता/करती है और वास्तविक सेवानिवृत्ति से पूर्व चयनित हो जाता/जाती है तो निवृत्ति प्राधिकारी पदग्रहण कालावधि को शिथिल कर सकेगा और उसे उसकी सेवानिवृत्ति के दो माह की किसी कावावधि के भीतर-भीतर पद ग्रहण करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा।"
- "यदि किसी पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा अर्हक करने के लिए एक प्रमाणपत्र में व्युत्पन्न अर्हक उत्तीर्ण अंक/या कुल अंक, जहां काही भी निहित किये गये हों, तो पांच प्रतिशत या भूतपूर्व सैनिक की अनुपलब्धता की दशा में और पांच प्रतिशत अथवा सुचंगण सेवा नियमों में यथा विहित, जो भी उच्चतम हो, का शिथिलीकरण भूतपूर्व सैनिकों को दिया जायेगा।"
- यदि किसी कारणवश भूतपूर्व सैनिक पदग्रहण नहीं करता है तो ऐसी स्थिति को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरा जायेगा और रिक्तियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रणी की जायेगी तथा तत्पश्चात् ऐसी रिक्तियां व्यापगत हो जायेगी।
- किसी भूतपूर्व सैनिक द्वारा राज्य के अधीन किसी भी लोक सेवा में नियोजन स्वीकार कर लेने के बाद वह भूतपूर्व सैनिक के रूप में अपनी प्रास्थिति (Status) को देगा और वह केवल लोकसेवक (Civil Employee) के रूप में ही माना जाएगा। अर्थात् भूतपूर्व सैनिक के रूप में देय आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के उपरान्त लोक सेवा के किसी पद पर पुनर्नियोजन स्वीकार करने की उसका भूतपूर्व सैनिक के रूप में कोई भी लाभ प्राप्त करने का अधिकार सामान्यतः सामान्य सारखा जायेगा, परन्तु सौधी भर्ती के ऐसे पदों के संक्षेप में, जहां नियमों में निम्न पद का अनुपलब्ध भी निर्धारित किया गया है, किसी भूतपूर्व सैनिक द्वारा निम्न पद पर नियोजित होने के कारण, भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का अधिकार समाप्त हुआ नहीं समाप्त जायेगा परन्तु यह और कि यदि कोई भूतपूर्व सैनिक राजस्थान सरकार के अधीन किसी नियोजन को ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पदों के लिये आवेदन करता है और संबंधित नियोजन को, राजस्थान सरकार के अधीन प्रारम्भिक पद ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पद जिसके लिये उसने आवेदन किया है, के लिये आवेदन की तादीक्ष्य वार व्यर्थ के बारे में रक्त-सोषण पत्र/बचनबन्ध देता है तो ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिये उसे भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विमुक्ति नहीं किया जायेगा। भूतपूर्व सैनिक जिस राजस्थान सरकार के अधीन नियुक्त/संविदा/अस्थायी/तदर्थ आधार पर पुनर्नियोजित किया गया है को भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विमुक्ति नहीं किया जायेगा।
- उत्कृष्ट खिलाड़ी को पदों हेतु:- उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आरक्षण राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक F.5(31)DOP-A-II/84 दिनांक 21.11.2019 के अनुसार कुल रिक्तियों का 2% देय होगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् आवेदक जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा। आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इस पद को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा और ऐसी रिक्ति परभावपूर्वती वर्ष के लिए अग्रणी नहीं की जाएगी। उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी में केवल वे ही अभ्यर्थी आवेदन करें जो कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एक.5(31)डीओपी/ए-11/84 दिनांक 21-11-2019 में नीचे वर्णित योग्यता रखता हो। इनसे निम्न योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी का उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिये आरक्षित पदों पर चयन पर विचार नहीं किया जायेगा।
- उत्कृष्ट खिलाड़ी सम्मन्धी प्रावधान:- कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एक.5(31)डीओपी/ए-11/84 दिनांक 21-11-2019 के अनुसार "उत्कृष्ट खिलाड़ी" से ऐसे खिलाड़ी अभिप्रेत हैं जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी हैं और निम्नलिखित :-
- उत्त राष्ट्रीय के स्तम संख्यांक 2 में उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्था द्वारा आयोजित नीचे दी गयी अनुसूची के स्तम संख्यांक 3 में उल्लिखित खेलकूद के किसी अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट/चैम्पियनशिप में व्यक्तिता या टीम स्तरों में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो:

क्र.सं.	अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्था	टूर्नामेंट /चैम्पियनशिप का नाम
1	अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति (आई.ओ.सी.)	ओलम्पिक गेम्स (ग्रीष्मकालीन)
2	एशिया ओलम्पिक परिषद (ओ.सी.ए.)	एशियन गेम्स
3	दक्षिण एशियन ओलम्पिक परिषद (एस.ए.ओ.सी.)	दक्षिण एशियन गेम्स; जो सामान्यतः सीक गेम्स के रूप में जाने जाते हैं।
4	राष्ट्रमण्डल खेल परिषद (सी.ओ.एफ.)	राष्ट्रमण्डल गेम्स
5	अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति से संबद्ध अन्तर्राष्ट्रीय खेल परिषद	विश्व कप/ विश्व चैम्पियनशिप
6	एशिया ओलम्पिक परिषद से संबद्ध एशियन खेल परिषद	एशियन चैम्पियनशिप
7	अन्तरराष्ट्रीय स्कूल खेल परिषद (आई.एस.एस.एफ.)	अन्तरराष्ट्रीय स्कूल गेम्स/चैम्पियनशिप
8	एशियन स्कूल खेल परिषद (एस.एस.एफ.)	एशियन स्कूल गेम्स/चैम्पियनशिप

- स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी स्कूल नेशनल गेम्स में व्यक्तिता या टीम स्तरों में मेडल जीत हो;

(क्रमशः)

8. पंजीयन शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अवधि:-

- (क) यदि आवेदक द्वारा OTR (One Time Registration) का एकमात्र पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया है तो पंजीयन शुल्क राज्य को निर्धारित ई-निर्ग कियोस्क, जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.), नेट बैंकिंग, एटीएम, कम कोश्ट बैंक एवं कोश्ट बैंक के माध्यम से दिनांक 09.08.2024 से दिनांक 07.09.2024 को रात्रि 23.59 बजे तक जमा करवाया जा सकता है।
- (ख) ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 09.08.2024 से दिनांक 07.09.2024 को रात्रि 23.59 बजे तक कोई भी वेबसाइट पर भरे जा सकते हैं (इसके उपरांत शिक निष्क्रिय हो जाएगा)। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक का हस्ताक्षर किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाईन आवेदन करें।

9. परीक्षा आवेदन:- पंजीयन पूरा करवा (पंजीयन स्तर) की परीक्षा बोर्ड द्वारा दिनांक 25.09.2024 एवं दिनांक 28.09.2024 एक अनिवार्य परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित कराई जायेगी। इस संबंध में विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट एवं प्रेस विज्ञापन के माध्यम से अलग से दे दी जायेगी। बोर्ड को मार मरीजा की विनाश एवं स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है। यदि परीक्षा एक से अधिक वर्गों में आयोजित की जाती है तो सामान्यकरण (Normalization) की कार्यवाही की जायेगी।**10. प्रवेश पत्र:-** बोर्ड द्वारा समस्त अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ही ऑनलाईन प्रवेश-पत्र जारी किये जाएंगे। बोर्ड द्वारा आक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। बोर्ड की वेबसाइट पर प्रवेश-पत्र जारी किये जाने की सूचना समाचार पत्रों एवं वेबसाइट के माध्यम से जारी की जाएगी। आवेदक अपना प्रवेश-पत्र वेबसाइट से प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र क्रमांक एवं SSO ID ध्यान में रखें। उपलब्ध संसाधनों एवं सुविधा के आधार पर प्रवेश-पत्र सम्बंधी सूचना आवेदक को ई-मेल आईडी (E-mail ID) एवं Whatsapp मोबाइल नम्बर पर भेजी जा सकती है।**11. नियुक्ति की अयोग्यताएं :-**

- किसी भी ऐसे पुरुष आवेदक को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो वर्णित किए जाने या नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जायेगा। किसी आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
- किसी भी ऐसी महिला आवेदक को जिसने उस पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी है नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जायेगा। किसी महिला आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
- कोई भी विवाहित आवेदक सेवा में नियुक्ति करने के लिए पात्र नहीं होगा/होगी, यदि उसने अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो।
- कोई भी अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरुद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उप-नियम के अधीन नियुक्ति के लिये निर्धारित नहीं है, उसे निर्धारित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रवेश द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो।
- कोई भी अभ्यर्थी जो एक इकाई सम्बंधी है।
- कोई भी अभ्यर्थी जो संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान को नहीं गिना जायेगा जो पूर्व के प्रवास से पैदा हुई हो और निश्चयता से ब्रह्म हो।
- कोई भी अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरुद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उप-नियम के अधीन नियुक्ति के लिये निर्धारित नहीं है, उसे निर्धारित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रवेश द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो।
- इस उप-नियम के उपबंध किसी विधवा और विध्वंस-विवाह महिलाओं की नियुक्ति पर लागू नहीं होगी।
- कोई भी उम्मीदवार जिसने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से उद्घनकारित (अपने आप को अन्य व्यक्ति होना बताना) करने, या काट-छाट किए हुए जारी दस्तावेज पेश करने या गलत बयान देने या महत्वपूर्ण सूचना छिपाने या परीक्षा में अनुचित तरीके काम में लेने या लेने का प्रयत्न करने, या परीक्षा में प्रवेश प्राप्त करने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित तरीके अपनाने का दोषी घोषित किया हो, वह अपने आप को फौजदारी मुकदमों का उत्तरदायी बनाने के अतिरिक्त, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए, स्थायी रूप से या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक के लिए बहिष्कृत (Debarred) कर दिया जायेगा।

12. ऑनलाईन आवेदन किये जाने हेतु विशेष निर्देश:-

आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पत्र है, उस श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करें।

नोट:- राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की कीमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से निम्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (कीमीलेयर एवं नॉन कीमीलेयर)/अधिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक सामान्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं।

कृपया ध्यान दें:-

- आवेदकों को हिरासत में रखा जा है कि ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से पूर्व बोर्ड को विज्ञापन एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र भरकर निर्देशों के साथ-साथ, संबंधित सेवा नियमों का अध्ययन कर लें।
- ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक ही स्वीकार किए जाएंगे। ऑनलाईन आवेदन स्वीकार नहीं किये जाएंगे। आवेदक आवेदन पत्र प्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह विज्ञापन के विधानानुसार परामर्श की समस्त शर्तें पूरी करता है एवं पत्र के सम्बंध में बाहरी आवश्यक समस्त सूचनाएं संबंधित कॉलम में सही-सही एवं पूर्ण भर गई हैं। समस्त प्रविष्टियां पूर्ण एवं सही नहीं होने की स्थिति में बोर्ड द्वारा आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा अथवा ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुये परीक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जाएगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
- यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से निम्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो उसकी श्रेणी में सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी। गलत श्रेणी का आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन पत्र बोर्ड द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का Online Application Form प्रस्तुत (Submit)करते समय अपने वर्ग का सत्य उल्लेख निर्धारित कॉलम में करें अथवा Online Application Form प्राप्ति की अंतिम दिनांक पर प्राप्त (संशोधन करने की अवधि समाप्त होने के बाद) वर्ग परिवर्तन नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थियों को जो कि उक्त वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष का आम विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होगा और ना ही इस संबंध में किसी प्रार्थना-पत्र पर विचार किया जाएगा।
- किसी भी पद/परीक्षा/पत्राका परीक्षा में विलंब (Debar) किये गये आवेदक जिनके विलंब (Debar) होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस भर्ती हेतु आवेदन नहीं कर सकते।
- बोर्ड द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचनाओं के आधार पर भी अभ्यर्थियों की पात्रता (आयु, शिक्षा, श्रेणी आदि) की जांच की जाएगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका ऑनलाईन आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। ऑनलाईन आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों में संशोधन की अवधि समाप्त होने के बाद में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी और ना ही इस सम्बंध में कोई प्रार्थना पत्र बोर्ड द्वारा स्वीकार किया जाएगा।
- आवेदक जिनके ऑनलाईन आवेदन पत्र अंतिम दिनांक तक बोर्ड कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त हो गए, ऐसे आवेदकों को बोर्ड द्वारा अनंतिम (Provisional) रूप से परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा के लिये प्रवेश-पत्र जारी करने का यह अभिप्राय नहीं है कि बोर्ड द्वारा उसकी उम्मीदवारी अंतिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन-पत्र में की गयी प्रविष्टियां बोर्ड द्वारा सही मान ली गई हैं। बोर्ड आवेदकों की पात्रता की जांच करना से की जायेगी। अस्थाई रूप से घयन होने की स्थिति में आवेदक को विस्तृत आवेदन दो प्रतियों में समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियों के साथ बोर्ड कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। बोर्ड द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जांच करते समय तथा मूल प्रदत्तों से पात्रता की जांच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिक या अन्य शर्तों की पात्रता नहीं करने के कारण यदि अभ्यर्थी की अपात्रता का पता चलता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।

7. अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु विस्तृत विज्ञापन राजस्थान रोजगार संदेश के आगामी संस्करण में प्रकाशित किया जा रहा है एवं बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।

8. फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश

फोटो अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश :-

- फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।
- आवेदक को नवीनतम रंगीन फोटो (अधिकतम 01 माह पुराना) अपलोड करनी चाहिए। मोबाइल व अन्य स्वयं रचित फोटो का उपयोग नहीं करें।
- फोटो की पृष्ठभूमि (Background) सफेद या हल्के रंग की होनी चाहिए।
- फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 80 प्रतिशत जगह घेरना चाहिए।
- फोटो में आवेदक का चेहरा एवं शिर किसी भी कपड़े, छाया, बालों द्वारा ढका हुआ नहीं होना चाहिए। आवेदक का शिर, आंख, नाक और लोंड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए।
- यदि आप चश्मा पहनते हैं, तो फोटो खिंचते समय चश्मा पहन सकते हैं लेकिन चश्मे पर चमक (Flash) नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक की फोटो में काला या धूसर का चरना नहीं होना चाहिए।
- फोटो जेपीईजी (JPEG) प्रारूप में होना चाहिए एवं इसकी साइज 3.5 cm × 4.5 cm होनी चाहिए।
- फोटो जेपीईजी (JPEG) के पिक्सेल न्यूनतम 240 × 320 एवं अधिकतम 480 × 640 (0.3 मेगापिक्सेल) होना चाहिए।
- फाईल का आकार 50 के.बी. से 100 के.बी. तक होना चाहिए।
- स्कैन की गई फोटो का आकार 100 के.बी. से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
- परीक्षा के समय प्रवेश पत्र/उपस्थिति पत्र पर लगी फोटो आवेदक से मेल खानी चाहिए अथवा उम्मीदवार अयोग्य ठहराया जा सकता है।
- हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश :-
- आवेदक एक स्पष्ट जाग्रत (A4 size) पर 7 सेमी चौड़ाई एवं 2 सेमी ऊंचाई के एक आयताकार बॉक्स के भीतर काले या गहरे नीले रंग के पेन से हस्ताक्षर करें।
- हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा किया जाना चाहिए अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर माना नहीं होगा।
- अव्यक्ततापूर्ण बॉक्स में हस्ताक्षर करने के बाद इमेज को उल्टा करवाकर अव्यक्ततापूर्ण बॉक्स तक खींच करके के पत्रातु अपलोड करें।
- परीक्षा के समय प्रवेश पत्र/उपस्थिति पत्र पर किये गये आवेदक के हस्ताक्षर अपलोड हस्ताक्षर से मेल खाने चाहिए अथवा उम्मीदवार अयोग्य ठहराया जा सकता है।
- केवल जेपीईजी (JPEG) प्रारूप को स्वीकार किया जाएगा।
- जेपीईजी (JPEG) के लिए न्यूनतम पिक्सेल 280 × 80 से अधिकतम पिक्सेल 560 × 160 होना चाहिए।
- फाईल का आकार 20 के.बी. से 50 के.बी. तक होना चाहिए।
- हस्ताक्षर का आकार 50 के.बी. से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
- मोबाइल फोन का उपयोग कर लिया गया हस्ताक्षर का फोटोग्राफ स्वीकार नहीं किया जायेगा।

विशेष टिप्पणी:-

- परीक्षा के परामर्श संबंधित परीक्षा का प्रश्न पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा। प्रश्न पत्र की उत्तर कुंजी (Answer Key) बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड की जाकर आपत्तियां आंगनित की जायेगी। प्रत्येक आपत्ति के लिये परीक्षाओं को निर्धारित तरीके से शुल्क 100/- के जमा करना अनिवार्य है। इसकी प्रतियां आपत्ति आंगनित करने हेतु जारी की जाने वाली विनियम में बतलाई जायेगी।
- परीक्षा देने के लिये आते समय अभ्यर्थी रोल/बस की छतों एवं पायदानों पर पात्रा नहीं करें। यह भी ध्यान रखें कि बस स्टैंड/रेलवे स्टेशन और रास्तों में टोकफोन, स्मार्टफोन, हुडबैग, पम्परबाजी, आगजनी एवं महिलाओं के साथ छेड़खानी आदि न करें तथा अनुशासन बनाए रखें।
- कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल फोन, पर्स इत्यादि लेकर नहीं आए। परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा में परीक्षा उपयोग के लिए नीली स्पाही का पारदर्शी माइलर, 2.5×2.5 से.मी. का एक फोटो (01 माह से अधिक पुराना न हो), एक फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र, ई-प्रवेश पत्र ही कम में ले जा सकते हैं। यदि परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल व अन्य प्रविष्टित वस्तुएं साथ लाता है तो उन्हें जमा किया जा सकता है तथा उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा केन्द्राधीन/संसाधक व राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की नहीं होगी।
- जिस परिसर के भीतर परीक्षा आयोजित की जा रही है, वहां मोबाइल फोन, पेजर, ब्ल्यूटूथ या अन्य कोई संचार यंत्र रखने की अनुमति नहीं है। इन अनुदेशों का उल्लंघन किए जाने पर सम्बन्धित आवेदक के खिलाफ अनुशासन कार्यवाही की जायेगी, जिसमें आवेदक की परीक्षा निरस्त किया जाना भी सम्मिलित है।
- परीक्षा परीक्षार्थियों के लिये बोर्ड का ड्रेस कोड लागू होगा। विस्तृत विवरण बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
- परीक्षार्थी को ई-प्रवेश पत्र पर उल्लेखित विस्तृत दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

13. ऑनलाईन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया:-बोर्ड द्वारा ऑनलाईन आवेदन में संशोधन हेतु कोई ऑनलाईन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। बोर्ड द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक 14.07.2023 द्वारा यदि किसी अभ्यर्थी को अपने OTR में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्मतारीख एवं शिग में परिवर्तन करना है तो उसे सर्वप्रथम अपने आधार/जनसंख्या में परिवर्तन करवाया होगा तत्पश्चात OTR स्कैन कर केबल राज्य सरकार द्वारा विश्वसनीय आधार/जनसंख्या में दर्ज नवीन डाटा उसके OTR में चरत ही आ जायेगा। अभ्यर्थी को अपने OTR में आश्रय श्रेणी, विश्वासजन श्रेणी एवं मूल निवास में बांछित संशोधन करने की अनुमति दी गयी है। अभ्यर्थी संशोधन करने के उपरांत ही ऑनलाईन आवेदन करें। यदि अभ्यर्थी नहीं का ऑनलाईन आवेदन वांछित कर चुका है तो ऐसी स्थिति में ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करने की अवधि के दौरान भी उसे स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्मतारीख एवं शिग में परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। अभ्यर्थी को यदि आश्रय श्रेणी/विश्वासजन श्रेणी/मूल निवास में संशोधन करने है तो पहले उसे OTR पेज पर आश्रय श्रेणी/विश्वासजन श्रेणी/मूल निवास में संशोधन करना होगा इससे उसे स्वयं के ऑनलाईन आवेदन में पूर्व में भरे गये आश्रय श्रेणी/विश्वासजन श्रेणी/मूल निवास में संशोधन करने का विकल्प उपलब्ध हो जायेगा, जिसके उपरान्त में लेकर वह जांचित संशोधन कर सकता है। ऑनलाईन आवेदन Submit किये जाने के पश्चात यदि आवेदक को किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन में फोटो, हस्ताक्षर एवं उन सूचनाओं को परिवर्तित नहीं कर पायेगा जो उसने OTR के समय दर्ज की हैं। रोच सूचनाओं में यह संशोधन निम्नानुसार कर सकता है:-

- यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात 07 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क 300/- रुपये देकर ऑनलाईन आवेदन में संशोधन कर सकता है। ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थी फोटो, हस्ताक्षर एवं उन सूचनाओं को परिवर्तित नहीं कर पायेगा जो उसने OTR के समय दर्ज की हैं, रोच प्रविष्टितियों में संशोधन किया जा सकता है। शैक्षणिक योग्यता में अभ्यर्थी अंतिम विधि के पश्चात 07 दिवस में ही संशोधन कर सकते हैं। इसके पश्चात शैक्षणिक योग्यता के कॉलम में बांछित/विशेषाचार का नाम, रोल नं., उत्तरांग एवं हवादि में कोई संशोधन नहीं कर सकते। बोर्ड द्वारा जारी कार्यालय आवेदन दिनांक 27.07.2023 के अनुसार ऑनलाईन आवेदन के लिये One Time Registration (OTR) में शैक्षणिक योग्यता में केवल एकमात्र संशोधन की अनुमति दी गयी है। सर्वप्रथम अभ्यर्थी अपने OTR में शैक्षणिक योग्यता में बांछित संशोधन कर लेंगे। अभ्यर्थी संशोधन करने के उपरांत ही ऑनलाईन आवेदन करें। यदि अभ्यर्थी नहीं का ऑनलाईन आवेदन सम्पन्न कर चुका है तो ऐसी स्थिति में (क्रमशः)

- अभ्यर्थी को शैक्षणिक योग्यता में संशोधन करने हेतु पहले, OTR पेज पर स्वयं की शैक्षणिक योग्यता में संशोधन करना होगा दूसरे उस शैक्षणिक योग्यता में संशोधन करने का विकल्प स्वयं को ऑनलाईन आवेदन में ऑनलाईन आवेदन को संशोधित करने की अवधि के दौरान उपलब्ध रहेगा, जिसे उपयोग में लेकर वह शैक्षणिक योग्यता में वांछित संशोधन कर सकता है। ऑनलाईन आवेदन में संशोधन हेतु निर्धारित फीस जमा कराने की प्रक्रिया ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया के समाप्त हो जाएगी।
- ii. यदि किसी अभ्यर्थी के ऑनलाईन आवेदन में त्रुटि रह जाती है तथा वह किसी कारणवश आवेदन करने की अंतिम दिनांक के पश्चात् 07 दिवस के भीतर अपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन नहीं कर पाता है तो उसे अपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करने का एक और अंतिम अवसर परीक्षा आयोजन के पश्चात् ऑनलाईन त्रुटि संशोधन हेतु एक निर्दिष्ट समय दिया जायेगा जिसमें अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन की त्रुटि को ऑनलाईन संशोधन कर सकेगा। ऑनलाईन आवेदन में संशोधन हेतु दिनांक एवं समय की सूचना पृष्ठक से बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से दी जायेगी। उक्त निर्धारित समय में अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन में निर्धारित संशोधन शुल्क 300/- रुपये ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया के समाप्त भुगतान कर संशोधन कर सकेगा।
- iii. इसके पश्चात् ऑनलाईन आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा।
14. **ऑनलाईन आवेदन प्रत्याहारित करने की प्रक्रिया**—बोर्ड द्वारा उक्त विज्ञापन में निर्धारित अवधि तक उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता नहीं होने पर ऑनलाईन आवेदन नहीं भरे। इस परीक्षा में ऑनलाईन आवेदन प्रत्याहारित किये जाने की सुविधा नहीं दी गई है। विज्ञापन के अनुसार वांछित योग्यता नहीं होने के बावजूद भी इस अवधि में आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध बोर्ड द्वारा पात्रता जांच उपरान्त विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी।
15. **श्रुत लेखन की सुविधा**—सामान्यतया सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न-उत्तर स्वयं अपने हाथ से लिखने होंगे, केवल राजस्थान विद्यार्थीजान अधिकार नियम, 2018 में वर्णित ऐसे विशेष योग्यजन (ऐंजलीन (Blind) सूर्यमुखी एवं अल्पश्रुति न्यूनतम 40 प्रतिशत श्रुति निश्चितता) या शारीरिक रूप से निश्चित (जो बांध कटे होने या अंगुलियां नहीं होने के कारण लिखने में असमर्थ है, को परीक्षा में श्रुतलेखक उपलब्ध कराये जायेंगे, परन्तु अचानक दुर्घटनावश लेखन कार्य से अस्थाई रूप से असमर्थ हुए अभ्यर्थियों को यह सुविधा देय नहीं होगी। श्रुतलेखक उपलब्ध कराने हेतु ऐसे परीक्षार्थी प्रवेश पत्र प्राप्त होते ही वांछित विधिवत्स प्रमाण पत्र सहित बोर्ड को सुचित कर एवं परीक्षा प्रारम्भ होने के कम से कम तीन दिन पूर्व आवेदित परीक्षा केंद्र के केन्द्राधीनक के सम्बन्धित होकर वांछित विधिवत्स प्रमाण पत्र सहित श्रुतलेखक की व्यवस्था हेतु अनुरोध करें और प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित एक प्रति केन्द्राधीनक को भी दी जायेगी।
16. **आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने व अनुचित सामग्री की रोकथाम**—आवेदकों को अपने ऑनलाईन आवेदन में गलत सूचना सही-सही अंकित करनी चाहिए और परीक्षार्थियों को केन्द्राधीनक/अभिजागर/बोर्ड द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना चाहिए, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केंद्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने एवं परीक्षा में अनुचित सामग्री का प्रयोग/उपयोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध बोर्ड/केन्द्राधीनक जो भी उचित समझे समस्त कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित सामग्री की रोकथाम के अध्याय) अधिनियम 2022 के अन्तर्गत एवं बोर्ड द्वारा निर्धारित "Punishment for insolent behavior/disorderly conduct/using or attempting unfair means during the course of examination" तथा "The Rajasthan Subordinate and Ministerial Service Selection Board Prevention of Unfair means in Board Examinations Regulations, 2016" के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। परीक्षार्थियों को सावधान किया जाता है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित सामग्री की रोकथाम के अध्याय) अधिनियम, 2022 (2022 का अधिनियम संख्यांक 6) के प्रावधानों के तहत क्या वर्णित किसी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित सामग्री का प्रयोग/उपयोग करने या उनका सहारा लेने, अनधिकृत प्रवेश, प्रश्न-पत्र को कब्जा व प्रकटीकरण तथा संबंधित अपराधों के लिए कठोर कानून का प्रावधान किया गया है। अनुचित सामग्री में विषय परीक्षार्थी के लिए तीन वर्ष तक के कठोर कारावास एवं रुपये 1,00,000/- (अक्षरे एक लाख) न्यूनतम जुर्माना के प्रावधान किए गए हैं। परीक्षार्थी के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति द्वारा भ्रष्टाचार या अधिनियम वर्णित अनुचित सामग्री में विषय होने पर या दुरुपयोग करने पर न्यूनतम तीन वर्ष के कारावास जो कि दस वर्ष तक हो सकता है एवं न्यूनतम रुपये 10,00,000/- (अक्षरे दस लाख) का जुर्माना जो कि दस करोड़ तक हो सकता है, के दण्डित करने के प्रावधान किए गए हैं। दोष सिद्धि पर दो वर्ष की कारावास के लिए कोई सार्वजनिक परीक्षा देने से विधिवत किए जाने के भी प्रावधान किए गए हैं। उपरोक्त अधिनियम की विहित अनुसार कठोर पालना सुनिश्चित की जाएगी।
17. **समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर) हेतु परीक्षा की स्वीम एवं पाठ्यक्रम**—

परीक्षा की स्वीम

विषय विवरण	प्रश्नों की संख्या	कुल अंक	समय
भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा और विरासत, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी,कम्प्यूटर का ज्ञान, सामसायिक घटनाएं	150	300	03:00 HR

नोट— 1. सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे तथा सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे।

2. किसी प्रश्न के गलत उत्तर के लिए परीक्षार्थी के प्राप्तीकों में से उस प्रश्न के पूर्णांक का एक-तिहाई (1/3) भाग नकारात्मक अंकन (Negative Marking) काटा जायेगा।

पाठ्यक्रम विवरण

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास :

- भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन
- भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन-विभिन्न अवस्थाएं, इनमें देश के विभिन्न क्षेत्रों के योगदानकर्ता एवं उनका योगदान
- 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान में जनजाति व किसान आन्दोलन, राजनीतिक जनजागरण एवं प्रजागण्ड आंदोलन
- स्वातंत्र्योत्तर राष्ट्र निर्माण— राष्ट्रीय एकीकरण एवं राज्यो का पुनर्गठन, मेहरूस दग में सांस्थागत निर्माण, विज्ञान एवं तकनीकी का विकास।

राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा और विरासत :

- प्राचीन समयतए, कालीबंगा, आहड़, गंगेस्वर, बालाखल और बैराट
- राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनका प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था, सामाजिक-सांस्कृतिक कायम
- स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं — किले एवं रमारक, कलाएं, चित्रकलाएं और हस्तशिल्प
- राजस्थानी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियां, क्षेत्रीय शैलियां
- मेले, त्योहार, लोक संगीत एवं लोक नृत्य
- राजस्थानी संस्कृति, परम्परा एवं विरासत
- राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत एवं लोक देवता
- महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल
- राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व
- राजस्थान का पर्यटन।

भारत का भूगोल :

- भौतिक स्वरूप: पर्वत, पठार, मरुस्थल एवं मैदान
- जलवायु एवं मानसून तंत्र
- प्रमुख नदियाँ, बांध, झीलें एवं सागर
- वन्य जीव जन्तु एवं अभयारण्य
- प्रमुख फसलें— गेहूँ, चावल, कपास, गन्ना, चाय एवं कॉफी
- प्रमुख खनिज-लौह अयस्क, मैंगनीज, बॉक्साइट एवं अलक
- ऊर्जा संसाधन— परम्परागत एवं गैर-परम्परागत
- प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक प्रदेश
- राष्ट्रीय राजमार्ग, परिवहन के साधन एवं व्यापार

राजस्थान का भूगोल :

- भूगर्भिक संरचना एवं भू-आकृतिक प्रदेश
- जलवायु प्रदेश, मानसून तंत्र एवं जलवायु प्रदेश
- अपवाह तंत्र, झीलें, सागर, बांध एवं जल संरक्षण तकनीकें
- प्राकृतिक वनस्पति
- वन्य जीव-जन्तु एवं अभयारण्य
- मृदाएं
- रबी एवं खरीफ की प्रमुख फसलें
- जनसंख्या— घुट्टि, घनत्व, साक्षरता, एवं लिंगानुपात
- प्रमुख जनजातियाँ
- वास्तविक एवं आभासिक खनिज पदार्थ
- ऊर्जा संसाधन— परम्परागत एवं गैर-परम्परागत
- पर्यटन स्थल
- यातायात के साधन— राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल एवं वायुमार्ग

राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था :

- भारतीय संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना (उद्देशिका), मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त, मौलिक कर्तव्य, संघीय ढांचा, संवैधानिक संशोधन, आपातकालीन प्रावधान, जनहित वाचिका।
- संविधान सभा, भारतीय संविधान की विशेषताएं
- राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद्, संसद, उच्चतम न्यायालय
- संघीय एवं राज्य कार्यपालिका, निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य सूचना आयोग, लोकपाल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, स्थानीय स्वायत्त शासन एवं पंचायती राज।
- राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, राजपट्टा, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सुरक्षा आयोग।

भारत की अर्थव्यवस्था :

- बजट निर्माण, बैंकिंग, लोक-वित्त, वस्तु एवं सेवा कर, राष्ट्रीय आय, संयुक्ति एवं विकास का आधारभूत ज्ञान
- राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियाँ
- सब्सिडी, लोक वितरण प्रणाली
- ई-गोमर्स
- अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र : कृषि, उद्योग, सेवा एवं व्यापार क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति, मुद्दे एवं पहल।
- हरित क्रांति, श्वेत क्रांति एवं नीली क्रांति।
- पंचवर्षीय योजनाएं एवं नियोजन प्रणाली।
- प्रमुख आर्थिक समस्याएं एवं सरकार की पहल, आर्थिक सुधार एवं उद्यमीकरण।

राजस्थान की अर्थव्यवस्था :

- राजस्थान की खाद्य व व्यावसायिक फसलें, कृषि आधारित उद्योग
- बृहद शिवाई एवं नदी घाटी परियोजनाएं, बंजड़ भूमि व सूखा क्षेत्र विकास परियोजनाएं, हर्षिद गंधी नगर परियोजना
- उद्योगों का विकास व उनका स्थान, कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, लघु, कुटीर एवं ग्रामीण, निर्यात सामग्री, राजस्थानी इस्पात

(क्रमशः)

- गरीबी एवं बेरोजगारी-अवधारणा, प्रकार, कारण, निदान एवं वर्तमान परामर्शिय योजनाएँ, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता कगजों वगैरे के लिए प्रावधान।
- विभिन्न कल्याणकारी योजनाएँ, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अभिनियम (MNREGA), विकास संस्थाएँ, सहकारी आन्दोलन, लघु उद्यम एवं वित्तीय संस्थाएँ, संविधान के 73 वें संशोधन के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं की ग्रामीण विकास में भूमिका।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी :

- सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी
- रसा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं उपग्रह
- विद्युत धारा, ऊष्मा, कार्य एवं ऊर्जा
- आहार एवं पोषण, रक्त समूह एवं RH कारक
- स्वास्थ्य देखभाल, संक्रमण, असंक्रमण एवं पशुजन्य रोग
- पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय परिवर्तन एवं इनके प्रभाव
- जैव-विविधता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं संवर्धनीय विकास
- जन्तुओं एवं पदार्थों का आर्थिक महत्व
- कृषि-विज्ञान, उद्यान-विज्ञान, वानिकी एवं पशुपालन राजस्थान के विशेष संदर्भ में
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास राजस्थान के विशेष संदर्भ में
- भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन
- अन्य, क्षार एवं लवण, स्वीडिंग पाउडर, खाने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, साबुन एवं अम्लजंक

तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता :

- Making series/analogy.
- Figure matrix questions, Classification.
- Alphabet test.
- Passage and conclusions.
- Blood relations.
- Coding-decoding.
- Direction sense test.
- Sitting arrangement.
- Input output.
- Number Ranking and Time Square.
- Making judgments.
- Logical arrangement of words.
- Inserting the missing character/number.
- Mathematical operations, average, ratio.
- Area of Triangle, circle, Ellipse, Trapezium, rectangle, sphere, cylinder.
- Percentage.
- Simple and compound interest.
- Unitary Method.
- Profit & Loss.
- Average
- Ratio & Proportion.
- Volume of sphere, cylinder, cube, cone.

Language Knowledge :

- सामान्य हिन्दी
- संधि और संधि विच्छेद
- संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रियाविशेषण, कारक, अव्यय
- समास, भेद, सामासिक पदों की रचना व विश्लेषण
- उपसर्ग एवं प्रत्यय
- विलोम शब्द, पर्यायवाची एवं अनेकार्थक शब्द
- विचय विधि
- ध्वनि एवं उसका वर्गीकरण
- पारिभाषिक शब्दावली (अंग्रेजी भाषा के पारिभाषिक शब्दों के समानार्थक शब्द)
- शब्द शुद्धि (अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण)
- वाक्य शुद्धि (अशुद्ध वाक्यों का शुद्धिकरण)
- मुहावरे एवं लोकोत्तिर्वा
- राजभाषा हिन्दी - संवैधानिक स्थिति
- पत्र एवं उसके प्रकार - कार्यालयी पत्र के अंश के विशेष संदर्भ में ।

Language Knowledge :**General English**

- Use of Articles and Determiners
- Tense/sequence of Tenses
- Voice : Active and Passive
- Narration : Direct and Indirect
- Use of Prepositions
- Translation of Ordinary/Common English sentences into Hindi and vice-versa
- Synonyms and Antonyms
- Comprehension of a given passage
- Glossary of official, Technical terms (with their Hindi version)
- Letter writing : Official, Semi-official, Circulars and Notices.
- Note : Questions on letter writing will also be objective regarding the structure of a letter.
- Idioms and Phrases
- One Word Substitution

कम्प्यूटर का ज्ञान :-

- Characteristics of Computers
- Computer Organization including RAM, ROM, File System, Input Devices, Computer Software- Relationship between Hardware & Software.
- Operating System
- MS-Office (Exposure of word, Excel/Spread Sheet, Power Point)

समसामयिक घटनाएँ

- राजस्थान, भारतीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिक घटनाएँ एवं मुद्दे
- वर्तमान में घटित व्यक्ति, स्थान एवं संस्थाएँ
- खेल एवं खेलकूद संबंधी गतिविधियाँ

नोट- बोर्ड द्वारा उक्त परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम बोर्ड की वेबसाइट पर Candidate Corner पर अलग से भी अपलोड करवाया गया है।

बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिये जाने के संबंध में अर्थार्थी से पुष्टि करवाये जाने हेतु ओ.एस.आर. उत्तरपत्रक में चौथवा विकल्प के संबंध में निम्नलिखित विशेष निर्देश लागू किये गये हैं :-

1. प्रत्येक प्रश्न के 05 विकल्प A, B, C, D, E. अंकित रहेंगे। उनमें से अर्थार्थी को केवल एक विकल्प को गोलें बॉल पेन से गहरा गोल उत्तरचुम्बक में चही उत्तर दर्शाने हेतु करना होगा।

Each question has five options marked as A, B, C, D, E. You have to darken only one circle (bubble) indicating the correct answer on the Answer Sheet using BLUE BALL POINT PEN.

2. प्रत्येक प्रश्न के लिये विकल्पों में से केवल एक विकल्प को भरना आवश्यक होगा।

It is mandatory to fill only one of the options for each question.

3. यदि अर्थार्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया है तो उसके लिये चौथवा विकल्प E को गोला गहरा करना होगा। यदि चौथो विकल्पों में से किसी को भी गहरा नहीं किया जाता है तो ऐसे 10 प्रश्नित प्रश्नों तक प्रत्येक प्रश्न के 1/3 अंक घटायें जायेंगे।

If you are not attempting a question then you have to darken the circle 'E'. If none of the five circles is darkened, one third (1/3) part of the marks of question shall be deducted.

4. प्रश्न पत्र हल करने के बाद अर्थार्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसने प्रत्येक प्रश्न का एक गोला गहरा कर दिया है। इस हेतु निम्नलिखित समय के बाद अर्थार्थी को 10 मिनट अतिरिक्त समय दिया जायेगा।

After solving question paper, candidate must ascertain that he/she has darkened one of the circles (bubbles) for each of the question. Extra time of 10 minutes beyond scheduled time, is provided for this.

5. प्रत्येक प्रश्न द्वारा 10 प्रश्नित से अधिक प्रश्नों को किसी भी गोलों में से गहरा नहीं करने पर उसे अव्यय किया जायेगा।

18

A candidate who has not darkened any of the five circles in more than 10% question shall be disqualified.

बोर्ड की वेबसाइट:-अर्थार्थी बोर्ड की वेबसाइट www.rmsb.rajasthan.gov.in एवं www.rsb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/सहायक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष नम्बर 0141-2722520 पर सम्पर्क किया जा सकता है। सम्पूर्ण पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर दुर्गापुर, जयपुर-302018 को सम्बोधित किया जायेगा।

(डॉ. बी.सी. बघाल)

सचिव

डी.आई.पी.आर/सी/7148/2024 रा.से.सं 34/2024

वार्षिक अभिदाताओं/एजेंट हेतु आवश्यक सूचना

राजस्थान रोजगार संदेश (पाक्षिक) के वार्षिक अभिदाता बनने हेतु अथवा वर्तमान में चल रहे अभिदाता जिनका वार्षिक शुल्क समाप्त होने जा रहा है वे ₹ 60/- की राशि का भारतीय पोस्टल आर्डर या डिमान्ड ड्राट सहायक निदेशक (प्रकाशन) राजस्थान रोजगार संदेश के पक्ष में भेजकर इस पाक्षिक पत्र के वार्षिक सदस्य बन सकते हैं।

- संपादक

सूचना

राजस्थान रोजगार संदेश के प्रकाशित लेखों एवं प्रशिक्षण एक परिचय में प्रयुक्त विषय वस्तु लेखकों / संस्थानों की अपनी है। सम्पादक इन विषय वस्तु एवं इनसे उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के विवाद के लिए किसी भी तरह उत्तरदायी नहीं है।

- सम्पादक

राजस्थान रोजगार संदेश

मुख्य सम्पादक
धर्मपाल मीना
निदेशक, रोजगार सेवा निदेशक
राजस्थान, जयपुर
सूचना, प्रकाशन एवं सम्पादक
हरी राम बड़गुजर
उप निदेशक, राजस्थान रोजगार संदेश, जयपुर
आक का पता : सहायक निदेशक प्रकाशन, दत्तार कूल परिसर,
गोपीनाथ मार्ग, जयपुर, पिनकोड- 302001
e-mail— adrs.jpr.emp@rajasthan.gov.in